संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/अनूपपुर/2018/ 1491 भोपाल दिनांक 16/8/18

प्रति,

डॉ. शैली जैन,
मेडीकल ऑफीसर,
जिला चिकित्सालय, अनूपपुर म.प्र. ।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर म.प्र. ।
विषयः–आरोप पत्र विरूद्ध–डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।

आपको सूचित किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । उसका उल्लेख आरोप पत्र में दिया गया हैं। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिसके आधार पर आरोप प्रस्तावित है। वह भी संलग्न हैं ।

4. आपसे इस पत्र के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि पत्र मिलने के 15 दिवस के अन्दर आप अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे साथ ही यह बतायें किः–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ।
(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें ।
(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें ।
(द) यदि आप आरोप पत्र आदि के साथ सलंग्न सूची में दर्शित अभिलेखों का अवलोकन करना चाहते है तो आप किसी भी कार्य दिवस के अन्दर देखें । यह कार्य इस पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर समाप्त कर दिया जावेगा ।

5. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्राप्तनहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगीं । जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।
6. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने का कष्ट करें ।

संलग्नः–
1. आरोप पत्र, 2.अभिकथन पत्र,
3. अभिलेखों की सूची, 4.गवाहों की सूची,

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

(डॉ. जे.पी. खरे)
संयुक्त संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/अनूपपुर/2018/ **भोपाल दिनांक**

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला अनूपपुर म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी आरोप पत्र संबंधित डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
8. डॉ. शैली जैन, मेडिकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर की ओर पालनार्थ द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर ।
9. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति ।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

आरोप पत्र

डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय, अनूपपुर म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के तहत निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप कमांक 1:–

यह कि आप डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म. प्र. में पदस्थ हैं ।

यह कि दिनांक 05.09.2017 रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 06.09.2017 सुबह 08.00 बजे तक जिला चिकित्सालय में आपकी ड्यूटी लगाई गईं थी, किन्तु आप रात्रिकालीन डयूटी में जिला चिकित्सालय से अनुपस्थित रहीं इसी दौरान दिनांक 06.09.17 को प्रातः 04.03 बजे श्रीमति तारावती बैगा पति श्री दादूराम बैगा निवासी मानपुर जिला अनूपपुर जिला चिकित्सालय में प्रसव उपचार हेतु भर्ती हुई थीं तत्समय उसकी स्थिति नार्मल थी, आपके डयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण प्रसूता श्रीमति तारावती को समय पर उचित उपचार नहीं मिल सका । तत्समय डयूटी पर उपस्थिति स्टाफनर्स द्वारा प्रसूता की प्राथमिक जांच की गई एवं प्रातः 7.00 बजे आपको प्रसूता की स्थिति से अवगत कराये जाने के बावजूद भी आप उपस्थित नहीं हुईं तथा प्रसूता के भर्ती होने के समय से प्रातः 08.30 बजे तक किसी भी महिला चिकित्सक द्वारा प्रसूता की जांच नहीं की गई, लगभग 08.35 बजे डाक्टर अलका तिवारी द्वारा प्रसूता का परीक्षण किया। आपके कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण प्रसूता को उचित उपचार के अभाव में प्रसूता की स्थिति लगातार खराब होती रही । प्रातः 11.00 बजे प्रसूता को आपरेशन थियेटर में सॉक मैनेज के बाद आपरेशन किया गया जिसमें प्रसूता का यूटेरस फटा हुआ एवं 11.57 बजे मृत बच्चा निकला तथा प्रसूता श्रीमति तारावती को बिलासपुर रेफर किया गया, रास्ते में ही दिनांक 06.09.2017 को श्रीमति तारावती की मृत्यु हो गई।

आरोप कमांक 2:–

यह कि प्रसूता श्रीमति तारावती की मृत्यु दिनांक 06.09.2017 को होने के पश्चात् स्टाफनर्स के कथनानुसार दिनांक 07.09.2017 मरीज श्रीमति तारावती की ओरिजनल मेटरनिटी विंग केस सीट को आपने अपने चेम्बर में बदलकर दूसरी मेटरनिटी विंग केस सीट स्टाफनर्स श्रीमति कविता राठौर के द्वारा तैयार करवाईं ।

इस प्रकार अपने पदीय कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में असफल एवं संनिष्ठ न रहते हुए आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर आपने स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अभिकथन

डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के तहत अभिकथन पत्रकः–

आरोप कमांक 1 के लियेः–

यह कि आप डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म. प्र. में पदस्थ हैं ।

यह कि कलेक्टर अनुपपुर द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से श्रीमति तारावती बैगा निवासी मानपुर जिला अनूपपुर की प्रसव के दौरान मृत्यु की शिकायत में अपर कलेक्टर जिला अनूपपुर से जांच करवाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया है, जिसकी प्रति संलग्न है । आपके विरूद्ध प्रारंभिक कारण बताओ जारी किया गया था जिसका आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया । जांच में निम्न तथ्य पाये गयेः–

यह कि दिनांक 06.09.2017 को प्रातः 4.03 बजे श्रीमति तारावती बैगा पति श्री दादूराम बैगा निवासी मानपर को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में प्रसव के लिये लेबररूम में भर्ती किये जाने की प्रविष्टि एडमीशन रजिस्टर वाहयरोगी कमांक 82512 में दर्ज है । दिनांक 05.09.2017 रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 06.09.2017 सुबह 08.00 बजे तक जिला चिकित्सालय में आपकी ड्यूटी लगाईं गईं थी, किन्तु आप रात्रिकालीन डयूटी में जिला चिकित्सालय से अनुपस्थित रहीं इसी दौरान दिनांक 06.09.17 को प्रातः 04.03 बजे श्रीमति तारावती बैगा पति श्री दादूराम बैगा निवासी मानपुर जिला अनूपपुर जिला चिकित्सालय में प्रसव उपचार हेतु भर्ती हुई थीं तत्समय प्रसूता की स्थिति नार्मल थी एवं उदरस्थ शिशु जीवित था, आपके डयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण प्रसूता श्रीमति तारावती को समय पर उचित उपचार नहीं मिल सका । तत्समय डयूटी पर उपस्थिति स्टाफनर्स द्वारा प्रसूता की प्राथमिक जांच की गई एवं प्रातः 7.00 बजे आपको प्रसूता की स्थिति से अवगत कराये जाने के बावजूद भी आप उपस्थित नहीं हुईं तथा प्रसूता के भर्ती होने के समय से प्रातः 08.30 बजे तक किसी भी महिला चिकित्सक द्वारा प्रसूता की जांच नहीं की गई, लगभग 08.35 बजे डाक्टर अलका तिवारी द्वारा प्रसूता का परीक्षण किया। आपके कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण प्रसूता को उचित उपचार के अभाव में प्रसूता की स्थिति लगातार खराब होती रही । प्रातः 11.00 बजे प्रसूता को आपरेशन थियेटर में सॉक मैनेज के बाद आपरेशन किया गया जिसमें प्रसूता का यूटेरस फटा हुआ एवं 11.57 बजे मृत बच्चा निकला तथा प्रसूता श्रीमति तारावती को बिलासपुर रेफर किया गया, रास्ते में ही दिनांक 06.09.2017 को श्रीमति तारावती की मृत्यु हो गई।

आरोप कमांक 2:–

यह कि स्टाफ नर्स के अनुसार मैंने मैटेन्टरी विंग केस सीट तैयार किया गया था उसे बदलकर दूसरी केस सीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । वह ओरिजनल नहीं है । प्रसूता श्रीमति तारावती की मृत्यु दिनांक 06.09.2017 को होने के पश्चात् स्टाफनर्स श्रीमति कविता ठाकुर के कथनानुसार दिनांक 07.09.2017 मरीज श्रीमति तारावती की ओरिजनल मेटरनिटी विंग केस सीट को आपने अपने चेम्बर में बदलकर दूसरी मेटरनिटी विंग सीट स्टाफनर्स श्रीमति कविता राठौर के द्वारा तैयार करवाईं । जिसमें आपके निर्देशानुसार प्रविष्टियां दर्ज की गई है ।

आप अपने पदीय कर्त्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन में असफल एवं संनिष्ठ न रहते हुए आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर आपने स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

<u>अभिलेखों की सूची</u>

डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में अभिलेखों की सूचीः—

01.कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दडाधिकारी का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4923/2017 दिनांक 24.10.2017 एवं जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित ।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.</u>

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

<u>गवाहों की सूची</u>

डॉ. शैली जैन, मेडीकल ऑफीसर, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म. प्र. के विरूद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अन्तर्गत अधिरोपित आरोपों के संबंध में गवाहों की सूचीः—

01. डॉ. अलका तिवारी, महिला चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, अनूपपुर म.प्र. ।
02. श्रीमति कविता राठौर, स्टॉफ नर्स, जिला चिकित्सालय,. अनूपपुर म.प्र. ।
03. श्रीमति रजनी ठाकुर, नर्सिंग सिस्टर जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
04. श्रीमति रिचारानी सिंह, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
05. श्रीमति लिली टेरेसा, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
06. श्रीमति स्वाति गहलौत स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
07. श्रीमति लता श्रीवास स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
08. सुलोचनादास स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय अनूपपुर म.प्र. ।
09. श्री दादूराम बैगा पिता श्री दुलारे बैगा निवासी मानपुर जिला अनूपपुर म.प्र. ।
10. श्रीमति दुअसिया पत्नि श्री दुलार बैगा निवासी मानपुर जिला अनूपपुर म.प्र. ।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.</u>

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश